FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर, अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **सरकार बनाम इस्ताक**

रसम मुकदमा **प्रा0पत्र सुपुर्दगी आर.बी.एक्ट** नम्बर 15/248/2022 दा0दि0 21.09.2022

रीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.09.2022	आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी इस्ताक पुत्र हेंमद जाति मेव निवासी ग्राम मिर्जापुर पुलिस थाना किशनगढ़–बास जिला अलवर राज0 जरिये वकील पेश किया गया। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी का जप्तशुदा वाहन टाटा रजि0 सं0 आर.जे.02जीबी4448 का विधि विरूद्व मुकामी पुलिस थानाधिकारी सदर, अलवर जिला अलवर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट 0450/2022 जुर्म दफा 3, 5, 6, 8, 9 आर.बी.एक्ट के तहत जप्त किया गया है, को सुपुर्दगी पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर थानाधिकारी सदर, अलवर जिला अलवर से रिपोर्ट तलब की जावें एवं आर.बी.एक्ट के तहत गोश्वारा प्राप्त किया जावें। तहरीर जारी हो। पत्रावली दिनांक 17.10.2022 को पेश हो। **जिला कलक्टर** **अलवर** 17/10/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अप्रा० उप०/ अनु० पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली वास्ते ... दिनांक 14/11/22 को पेश हो। रीडर 14/11/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अप्रा० उप०/ अनु० पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली वास्ते ... दिनांक 05/12/22 को पेश हो। रीडर	

24.11.2022

पत्रावली प्रार्थी के प्रा0पत्र के आधार पर आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन टाटा रजि0 संख्या आर.जे.–02–जी.बी.–4448 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी सदर अलवर से राय/टिप्पणी ली गयी। थानाधिकारी सदर अलवर द्वारा दिनांक 07.11.2022 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि प्रकरण में जप्तशुदा वाहन के संबंध में अब कोई तकमील तफतीश शेष नहीं है। अतः जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी पर दिये जाने पर मुकामी पुलिस थाना को कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस थाना की अभिशंषा के आधार पर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/– (शब्देन पांच लाख रूपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे तथा जब्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द–बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। पत्रावली वास्ते पेश करने सुपुर्दनामा/ तस्दीकशुदा जमानतनामा पूर्व से नियत दिनांक 05.12.2022 को पेश हो।

जिला कलक्टर
अलवर

30/11/22

वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली तलब होकर पेश हुई। वकील प्रार्थी ने निर्धारित राशि के जमानत/सुपुर्दनामा पेश किये पर तस्दीक कर आदेश S.H.O. सदर को वाहन सुपुर्दगी हेतु आदेश जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

सेवामें,
सरकार
श्रीमान,
1–
2–
3–
4–
5-